न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और इकबाल सिंह के समक्ष .

दया नंद दलाल,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

1998 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 13952 of 1998

19 जनवरी, 1999

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II - आर. एल. 5.32A (सी) - पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I - आरएल 3. 26 (घ) - अनिवार्य सेवानिवृत्ति - शक्ति का प्रयोग – सिद्धांत पुनः उल्लिखित -याचिकाकर्ता ने उस पर लगाए गए दंड के आदेशों का याचिका में खुलासा नहीं किया -याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है-याचिका निरस्त की जाने योग्य है।

अभिनिर्धारित किया गया कि (क) किसी कर्मचारी की समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश पारित होने से पहले नियोक्ता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा आदेश दंडात्मक नहीं है और यह कर्मचारी पर कोई कलंक नहीं डालता है।हालांकि, जहां सेवानिवृत्ति का आदेश सजा के उपाय के रूप में पारित किया जाता है, नियोक्ता को प्राकृतिक न्याय के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार जांच करनी होती है।

(b) एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का निर्णय सरकार/उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यह राय बनाने पर लिया जाना है कि एक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना जनहित में है।

(c) यद्यपि सेवा में रखे जाने वाले कर्मचारी की उपयोगिता और योग्यता के बारे में सरकार की संतुष्टि व्यक्तिपरक है, लेकिन इसका गठन प्रासंगिक कारकों पर वस्तुनिष्ठ विचार के आधार पर किया जाना चाहिए।

(d) सरकार या समिति, जिसे कर्मचारी के अभिलेख का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है, को मामले में निर्णय लेने से पहले सेवा के पूरे अभिलेख पर विचार करना चाहिए, लेकिन कर्मचारी के अभिलेख और बाद के वर्षों के दौरान उसके प्रदर्शन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।इस तरह से विचार किए जाने वाले रिकॉर्ड में केवल गोपनीय रिपोर्ट (खराब के साथ-साथ अच्छा) और दंड, यदि कोई हो, की प्रविष्टियां शामिल होंगी।

(e) यदि प्रतिकूल रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद सरकारी कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो ऐसी रिपोर्ट अपनी पकड़ खो देंगी।यह सिद्धांत अधिक कठोरता के साथ लागू होगा जहां पदोन्नति विशुद्ध रूप से योग्यता पर आधारित है।

(f) जहां सरकार/उपयुक्त प्राधिकारी को किसी कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का अधिकार देने वाला नियम शांत है, वहां सरकार समय से पहले सेवानिवृत्ति की शक्ति के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने वाले प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकती है।समयपूर्व सेवानिवृत्ति/अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कर्मचारी के मामले पर विचार करते समय इस तरह के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन उन्हें सरकार/उपयुक्त प्राधिकरण के विवेक को नियंत्रित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

(g) यदि पिछले वर्षों के संबंध में कर्मचारी के रिकॉर्ड औसत है और इतने अच्छा नहीं हैं, लेकिन बाद के वर्षों में उसके प्रदर्शन में सकारात्मक सुधार दिखाई देता है, तो पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्ति की शक्ति के प्रयोग के लिए कुछ ठोस कारण मौजूद होने चाहिए।

(h) न्यायालय आम तौर पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन करके शक्ति के प्रामाणिक प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जहां सरकार या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसी शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन से दूषित किया जाता है या जहां उपयुक्त प्राधिकारी वस्तुनिष्ठ तरीके से कर्मचारी के रिकॉर्ड पर अपना विवेक लगाने में विफल रहता है या जहां उपयुक्त प्राधिकारी बाहरी कारकों पर भरोसा करके कर्मचारी की उपयोगिता के बारे में राय बनाता है, तो न्यायालय के पास न केवल शक्ति है, बल्कि सेवानिवृत्ति के आदेश को अमान्य करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने का कर्तव्य भी है।

(पैरा 21)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के लिए जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशें और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देने वाली किसी भी कानूनी त्रुटि से ग्रस्त नहीं हैं।यह कोई सबूत न होने का मामला या विवेक का उपयोग न करने या बाहरी तथ्यों पर विचार करने का मामला नहीं है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में कई प्रतिकूल प्रविष्टियां निश्चित नहीं हैं, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के विभिन्न कृत्यों, जिनके लिए उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा दंडित किया गया है, पर समिति द्वारा यह राय बनाने के लिए उचित रूप से विचार किया गया है कि सेवा में उनका आगे बने रहना जनहित में नहीं है।सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दंड के आदेशों के साथ एक "औसत से कम" प्रविष्टि पर्याप्त सामग्री

का गठन करती है जिसके आधार पर कोई भी सामान्य विवेक वाला व्यक्ति एक प्रामाणिक राय बना सकता है कि याचिकाकर्ता सेवा में बने रहने का हकदार नहीं है।इसलिए, हम श्री हुड्डा से सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि विवादित आदेश मनमाना है या विवेक का उपयोग न करने के कारण इसे निरस्त किया जवे।

(पैरा 22)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिका पर विचार नहीं करने का एक और कारण है, अर्थात्, न्यायालय की असाधारण और न्यायसंगत अधिकारिता का आह्वान करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा प्रदर्शित अत्यधिक अपमानजनक आचरण।उन्होंने जानबूझकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दंड के विभिन्न आदेशों के संदर्भ से परहेज किया और यह कहते हुए अपने सेवा रिकॉर्ड की एक गुलाबी तस्वीर चित्रित करने की कोशिश की कि उन्होंने अपने पूरे सेवा जीवन में अच्छी रिपोर्ट अर्जित की है और हाल के अतीत की अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में बहुत अच्छी और उत्कृष्ट टिप्पणियां अर्जित की हैं, लेकिन इस तथ्य के लिए कि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड के काले पक्ष का खुलासा किया है, न्यायालय को यह विश्वास करने के लिए गुमराह किया गया होगा कि प्रतिवादीगण संख्या *2* में निहित शक्ति का प्रयोग मनमानेपन और दुर्भावना से दूषित है।याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील ने यह नहीं बताया कि याचिकाकर्ता ने सजा के आदेशों के बारे में रिट याचिका में उल्लेख क्यों नहीं किया।इस मामले में किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि याचिकाकर्ता ने दागी हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाया है और इसलिए, वह किसी भी अनुग्रह के योग्य नहीं है।

(पैरा 24)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नरिंदर हुड्डा।

अमोल रतन, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा, प्रतिवादीगण की ओर से।

निर्णय

न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी,

(1) याचिकाकर्ता ने हरियाणा राज्य के कर्मचारियों पर लागू पंजाब सिविल सेवा नियम खंड I भाग I के नियम 3.26 (डी) सहपाठित पंजाब सिविल सेवा नियम खंड II के नियम 5.32 ए (सी) के तहत सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति को चुनौती दी है।

(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पी-8 की वैधता और औचित्य तय करने के लिए आवश्यक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता उप रेंज अधिकारी के रूप में सेवा में शामिल हुआ था।उन्हें 14 जून,

1972 को रेंज अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। 25 अप्रैल, 1990 से डिवीजनल वन अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उनके दावे पर, जिस तारीख को उनके कनिष्ठ श्री माया राम को पदोन्नत किया गया था, प्रतिवादीगण द्वारा विचार नहीं किया गया है।विवादित आदेश से उन्हें सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

(3) याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित दो आधारों पर अपनी सेवानिवृत्ति को चुनौती दी हैः—

(i) आक्षेपित कार्य दुर्भावना से दूषित है; और

(ii) प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा लिया गया निर्णय प्रत्यक्षतः मनमाना और अनुचित है।

(4) प्रतिवादीगण ने यह कहते हुए विवादित आदेश को उचित ठहराया है कि सक्षम प्राधिकारी अपने सेवा रिकॉर्ड के गहन मूल्यांकन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता का सेवा में बने रहना जनहित में नहीं है।

(5) श्री नरेंद्र हुड्डा ने तर्क दिया कि विवादित आदेश को दुर्भावनापूर्ण घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 याचिकाकर्ता द्वारा संभागीय वन अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए दावा करने और 4 सितंबर, 1997 के स्थानांतरण के आदेश को रद्द करने के लिए 1997 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 13850 दायर करने के कारण भी नाराज था। विद्वान वकील ने तर्क किया कि प्रतिवादी संख्या 2 इस तथ्य को पचा नहीं सका कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है और इसलिए, जैसे ही उसे अवसर मिला, उसने निहित शक्ति का दुरुपयोग किया और याचिकाकर्ता को सेवा से बाहर कर दिया।श्री हुड्डा द्वारा आग्रह कर दूसरा तर्क यह किया गया कि याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड में कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं है जो एक प्रामाणिक राय बनाने का आधार बन सकती है कि सेवा में उनका बने रहना जनहित में नहीं है या उन्होंने सार्वजनिक सेवा के लिए अपनी उपयोगिता को ख़त्म कर दिया है और इसलिए, विवादित निर्णय को मनमाना घोषित किया जाना चाहिए और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

(6) श्री अमोल रतन ने श्री हुड्डा के निवेदन का यह तर्क देते हुए विरोध किया कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति, जो मुख्य सचिव, वित्त आयुक्त, प्रशासनिक सचिव और विभाग के प्रमुख की एक समिति द्वारा उनके सेवा रिकॉर्ड के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर पारित की गई है, किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक के खिलाफ लगाए गए दुर्भावनापूर्ण आरोप को आधारहीन माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विवादित आदेश पारित किया है।

(7) हमने संबंधित दलीलों पर विचार किया है और मामले के रिकॉर्ड को सावधानीपूर्वक देखा है।पक्षकारों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता की पिछले 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रविष्टियां हैंः—

वर्ष	श्रेणीकरण
1986-87	औसत
1987-88	अच्छा है।
1988-89	औसत से नीचे (ईमानदारी औसत)
1989-90	अच्छा है।
1990-91	अच्छा है।
1991-92	अच्छा है।
1992-9 93	औसत
1993-9 94	अच्छा है।
1994- 95	अच्छा है।
1995-9 96	उत्कृष्ट

(8) इस कार्यावधि के दौरान याचिकाकर्ता को विभिन्न मामलों में दंडित किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः—

(1) सोनीपत डिवीजन में रेंज अधिकारी के रूप में काम करते हुए, याचिकाकर्ता पर 50 सीमेंट थैलों के दुरुपयोग के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था।उन्होंने आरोप पत्र का जवाब नहीं दिया।श्री अजैब सिंह बाजवा, जिन्हें जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, ने उन्हें 45 सीमेंट बैगों के दुरुपयोग का दोषी ठहराया। उन्हें 3 मई, 1988 के पत्र के साथ जांच रिपोर्ट की एक प्रति भेजी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया।अंत में, याचिकाकर्ता पर संचयी प्रभाव के साथ एक वृद्धि को रोकने का जुर्माना लगाया गया-आदेश संख्या 90/सी. एफ. एन., दिनांक 15 सितंबर, 1988 के माध्यम से।

(2) जब उन्होंने 1977-78 के दौरान करनाल में रेंज अधिकारी के रूप में काम किया, तो उनके खिलाफ सामग्री, स्टोर की वस्तुओं और लकड़ी की कमी पाई गई।उन्हें नियमित विभागीय जांच में दोषी पाया गया।17 मई,

1990 के आदेश द्वारा, मुख्य वन संरक्षक ने याचिकाकर्ता के वेतन से 5,792 रुपये की वसूली का आदेश दिया।

(3) पानीपत (पी) रेंज का प्रभार नहीं सौंपने और उच्च प्राधिकारी के आदेशों का पालन न करने के लिए उन्हें 29 जून, 1990 के आदेश के माध्यम से निलंबित कर दिया गया था।प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने उनका स्पष्टीकरण माँगा था लेकिन याचिकाकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। 30 अप्रैल, 1991 के एक आदेश द्वारा उन्हें 29 जून, 1990 से 2 अगस्त, 1990 तक की अवधि के लिए कर्तव्य से अनुपस्थित माना गया था।

(4) कहा जाता है कि सोनीपत में रेंज अधिकारी के रूप में काम करते हुए उन्होंने रु. 22, 465 के गैर-स्वीकृत वाउचर जारी किए थे ।उनका स्पष्टीकरण मांगा गया लेकिन याचिकाकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया।अंततः वन संरक्षक (उत्तर) ने 9 मार्च, 1992 को 22,465.10 रुपये की वसूली के लिए आदेश पारित किया (इस संबंध में याचिकाकर्ता ने प्रतिकृति में कहा है कि उसके खिलाफ लगाया गया आरोप सही नहीं था और इसलिए, उससे कोई वसूली नहीं की गई थी)।

(9) उपरोक्त के प्रकाश में याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड में उपलब्ध अनुकूल और प्रतिकूल कारकों का अवलोकन कर यह तय किया जाना है कि क्या पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 3.26 (डी) सहपाठित नियम 5.32A (सी) खंड II के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा शक्ति का प्रयोग, दुर्भावनापूर्ण, मनमानेपन या किसी भी पेटेंट अवैधता के कारण दूषित है।हालाँकि, यह निर्णय लेने से पहले, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और इस विषय पर कुछ न्यायिक उदाहरणों का विश्लेषण करना उचित होगा।

(10) पंजाब सिविल सेवा का नियम 3.26 (ए) और (डी), खंड I, जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू होता है, निम्नानुसार हैः-

" 3.26 अनिवार्य सेवानिवृत्तिः

(क) जैसा कि इस नियम के अन्य खंडों में अन्यथा प्रावधान किया गया है, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस महीने के अंतिम दिन दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त होगा जिसमें वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। सार्वजनिक हित में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु के बाद उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

XX XX XX XX XX

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी, यदि उसकी राय है कि ऐसा करना लोक हित में है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी के अलावा किसी भी सरकारी कर्मचारी को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस या ऐसे नोटिस के बदले में तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार होगाः—

(i) यदि वह प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की सेवा या पद पर है और पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, सरकारी सेवा में प्रवेश कर चुका है; और

(ii) (क) यदि वह तृतीय श्रेणी की सेवा या पद पर है; या

(ख) यदि वह प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की सेवा या पद पर है और सरकारी सेवा में प्रवेश पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद , पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद

सरकारी कर्मचारी नोटिस अवधि के बदले में तीन महीने के वेतन और भत्तों के भुगतान पर तुरंत सेवानिवृत्त हो जाएगा और उसके बाद सेवा में नहीं होगा।

(ङ) चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी के अलावा कोई अन्य सरकारी कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकरण को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है -

(i) यदि वह प्रथम या द्वितीय श्रेणी की सेवा या पद पर है और पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सरकारी सेवा में प्रवेश कर चुका है; और

(ii) (क) यदि वह तृतीय श्रेणी की सेवा में है; या (ख) यदि वह प्रथम या द्वितीय श्रेणी की सेवा या पद पर है और पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सरकारी सेवा में प्रवेश किया हैः

बशर्ते कि इस खंड के तहत सेवानिवृत्त होने की इच्छा रखने वाले किसी सरकारी कर्मचारी की अनुमति को निलंबन के तहत रोकने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण योग्य होगा।”

(11) सरकार द्वारा दिनांकित 16.8.1983 के पत्र के माध्यम से जारी किए गए निर्देश, जो विवाद के केंद्र में हैं, नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः—

“मुझे हरियाणा सरकार के पत्र सं. 3586-4 GSI-75, दिनांकित 30.6.1975 और पत्र सं. 3575-4 GSI-<ID5, दिनांकित 9.8.1975 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है। 30.6.1975 दिनांकित पत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा 10 में यह सूचित करना आवश्यक है कि क्या किसी अधिकारी की 50 प्रतिशत गोपनीय रिपोर्ट अच्छी है।

2. अब सरकार ने इस मामले पर विचार करने के बाद निर्णय लिया है कि 55 वर्ष की आयु से परे सेवा में विस्तार केवल उन अधिकारियों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने पिछले 10 वर्षों की सेवा के दौरान 70 प्रतिशत अच्छी रिपोर्ट अर्जित की हो।तदनुसार, एक संशोधित प्रारूप इसके साथ संलग्न है।

3. राजपत्रित अधिकारियों को 50 वर्ष की आयु से अधिक की सेवा के लिए विस्तार देने के मामले में, यह आवश्यक है कि उन्होंने पिछले निर्णय के अनुसार पिछले 10 वर्षों के दौरान 50 प्रतिशत अच्छी रिपोर्ट अर्जित की हो।अधिकारी को औसत रिपोर्ट की सूचना दी जानी चाहिए।यदि ऐसी रिपोर्ट के खिलाफ 6 महीने के भीतर एक अभ्यावेदन प्राप्त होता है, तो उसी पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

इन निर्देशों के अनुसार कार्रवाई भविष्य में की जा सकती है और इन निर्देशों को सभी संबंधितों द्वारा नोट किया जाना चाहिए।"

(12) किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निहित शक्ति की प्रकृति सर्वोच्च न्यायालय और अन्य सभी न्यायालयों द्वारा निर्णयों का विषय बन गई है। इस विषय पर कुछ निर्णय इस प्रकार हैंः-

(i) भारत संघ बनाम जे. एन. सिन्हा और एक अन्य,[1]

(ii) भारत संघ आदि बनाम एम. ई. रेड्डी और अन्य।

(iii) बृज बिहारी लाई अग्रवाल बनाम मध्य प्रदेश का माननीय उच्च न्यायालय और अन्य,

(iv) बलदेव राज चड्ढा बनाम भारत संघ और अन्य,

(v) 'एच. सी. गार्गी बनाम हरियाणा राज्य,

(vi) बृज मोहन सिंह चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य,

(vii) राम एकबल शर्मा बनाम बिहार राज्य और दूसरा,

(viii) श्री बैकुंथा नाथ दास और एक अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा और एक अन्य,

(ix) डाक और तार बोर्ड बनाम सी. एस. एन. मूर्ति,

(x) एस. रामचंद्र राजू बनाम उड़ीसा राज्य,

(xi) नरसिंह पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य,

(xii) सुखदेव बनाम आयुक्त, अमरावती प्रभाग, अमरावती और दूसरा,[2]

(xiii) हरियाणा राज्य बनाम सूरज माई हुड्डा,[3]

---

1 ए. आई. आर.1971 एस. सी. 4

2 1996 (4) एस. एल. आर. 8

3 1991 (1) आर. एस. जे. 450

(xiv) के. के. वैद बनाम हरियाणा राज्य,[4]

(xv) दया नंद बनाम हरियाणा राज्य और दूसरा,[5]

(xvi) राम किशन बनाम हरियाणा राज्य,[6]

(xvii) चंदर भान आर्य बनाम सरकार के सचिव, हरियाणा और एक अन्य[7]

(xviii) धरम सिंह बनाम हरियाणा राज्य और दूसरा[8]

(13) जे न सिन्हा (उपरोक्त) मामले में जो क़ानून निर्धारित किया गया वो इस प्रकार है -

"संबंधित प्राधिकरण को जो अधिकार दिये गये है वे पूर्ण हैं ।उस शक्ति का प्रयोग नियमों में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है, जिनमें से एक यह है कि संबंधित प्राधिकारी की राय होनी चाहिए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है।यदि उस प्रामाणिकता से वह राय बनती है, तो उस राय की यथार्थता को अदालतों के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है।पीड़ित पक्ष के लिए यह तर्क देना खुला है कि अपेक्षित राय नहीं बनाई गई है या निर्णय संपार्श्विक आधारों पर आधारित है या यह है कि एक मनमाना निर्णय है।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कोई दीवानी परिणाम नहीं है।उपरोक्त नियम 56 (जे) का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं है।यह नियम केवल संविधान के अनुच्छेद 310 में सन्निहित आनंद सिद्धांत के पहलुओं में से एक का प्रतीक है।नियम के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते समय विभिन्न विचारों को उचित प्राधिकरण के साथ तौला जा सकता है।कुछ मामलों में, सरकार महसूस कर सकती है कि एक विशेष पद जनहित में एक अधिकारी द्वारा अधिक उपयोगी रूप से आयोजित किया जा सकता है जो एक से अधिक सक्षम हो।ऐसा हो सकता है कि जो अधिकारी इस पद पर है वह अक्षम न हो, लेकिन उपयुक्त प्राधिकारी अधिक कुशल अधिकारी रखना पसंद कर सकता है।यह आगे भी हो सकता है कि कुछ प्रमुख पदों में जनहित की आवश्यकता हो सकती है कि निस्संदेह क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होना चाहिए।इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि सभी संगठनों में और विशेष रूप से सरकारी संगठनों में, मृत लकड़ी अच्छी मात्रा में हैं ।इसे

---

4 1990 (1) एस. एल. आर 1
5 1995 (1) एस. एल. आर 57
6 1995 (3) एस. एल. आर. 452
7 1997 (3) आर. एस. जे. 626
8 1998 (1) आर. एस. जे. 10

काटना जनहित में आवशक है ।मौलिक नियम 56 (जे) सरकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत अधिकारों और जनता के हितों के बीच संतुलन रखता है।जबकि सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम सेवा की गारंटी दी जाती है, सरकार को अपने तंत्र को सक्रिय करने और उन लोगों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करके इसे और अधिक कुशल बनाने की शक्ति दी जाती है जो उसकी राय में जनहित में नहीं होने चाहिए।"

(14) भारत संघ आदि में वि. एम.ई. रेड्डी और एक अन्य (ऊपर), कानून के प्रस्ताव को निम्नलिखित शब्दों में कहा गया हैः—

"कर्मचारी पर्याप्त संख्या में वर्षों की सेवा करने के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति पूर्ण पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के बाद न तो कोई सजा है और न ही कोई कलंक है जिससे संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके।नियम का उद्देश्य राज्य सेवाओं में दक्षता और पहल के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए मृत लकड़ी को निकालना है।आगे यह स्पष्ट करते हुए देखा गया कि ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जो भ्रष्ट या संदिग्ध सत्यनिष्ठा के हों और जिन्हें सार्वजनिक हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है, क्योंकि वे अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में पहुँच चुके हैं और उनकी सेवानिवृत्ति से कोई संदेह नहीं होगा और न ही कोई दीवानी परिणाम होगा। बेशक, यह कहा जा सकता है कि अगर ऐसे अधिकारियों को काम जारी रखने की अनुमति दी जाती, तो वे सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख तक अपना वेतन निकाल लेते।लेकिन यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है जिसका दावा एक अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसने 30 वर्ष की सेवा की है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।"

(15) समयपूर्व सेवानिवृत्ति के नियम के उद्देश्य को समझाते हुए, अधिपतियों ने कहाः—

"हमें ऐसा लगता है कि इस नियम का मुख्य उद्देश्य कार्य में समर्पण और शुष्क गतिशीलता की भावना पैदा करना है ताकि प्रशासन में शुद्धता और स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके जो कि समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है क्योंकि राज्य सेवाएँ हमारे महान लोकतंत्र के स्तंभों में से एक हैं।सेवा के घटक का कोई भी तत्व जो शिथिल या भ्रष्ट, अक्षम या निशान तक नहीं पाया जाता है या उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, उसे समाप्त करना होगा।

(16) "न्यायिक समीक्षा की शक्ति के दायरे पर टिप्पणी करते हुए, उनके अधिपतियों ने टिप्पणी कीः

"जनहित का सुरक्षा कवच इस नियम के तहत शक्ति के किसी भी दुरुपयोग या रंगीन प्रयोग के खिलाफ सबसे शक्तिशाली और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है।इसके अलावा, जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि नियम के तहत शक्ति का प्रयोग अधिकार क्षेत्र का एक रंगीन प्रयोग है या मनमाना या दुर्भावनापूर्ण है तो इसे हमेशा रद्द किया जा सकता है।"

(17) *श्री बैकुंथ नाथ दास बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा (ऊपर)* में, सर्वोच्च न्यायालय के अधिपतियों ने विभिन्न निर्णयों की समीक्षा की, जिनमें से अधिकांश को ऊपर संदर्भित किया गया है और फिर निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया गया हैः—

"(i) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई दंड नहीं है।इसका मतलब कोई कलंक नहीं है और न ही दुर्व्यवहार का कोई सुझाव है।

(ii) सरकार द्वारा यह राय बनाने पर आदेश पारित किया जाना चाहिए कि किसी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना जनहित में है।यह आदेश सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया जाता है।

(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायिक जांच को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।यद्यपि उच्च न्यायालय या यह न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय के रूप में मामले की जांच नहीं करेगा, वे हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि आदेश पारित किया गया है (ए) दुर्भावनापूर्ण, या (बी) कि यह किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, या (सी) यह इस अर्थ में "मनमाना" है कि कोई भी उचित व्यक्ति दी गई सामग्री पर अपेक्षित राय नहीं बनाएगाःसंक्षेप में, यदि यह विकृत क्रम पाया जाता है। सरकार *(या यथास्थिति समीक्षा समिति)* को इस मामले में निर्णय लेने से पहले सेवा के पूरे रिकॉर्ड पर विचार करना होगा।

(iv) बाद के वर्षों के दौरान अभिलेख और प्रदर्शन को अधिक महत्व देने वाला पाठ्यक्रम।इस तरह से विचार किए जाने वाले रिकॉर्ड में स्वाभाविक रूप से गोपनीय रिकॉर्ड/चरित्र सूची में प्रविष्टियां शामिल होंगी, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों।यदि प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के बावजूद सरकारी कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो इस तरह की टिप्पणियों से उनका नुकसान होता है, विशेष रूप से यदि पदोन्नति योग्यता (चयन) पर आधारित है न कि वरिष्ठता पर।

(v) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश केवल यह दिखाने पर कि इसे पारित करते समय असंसदीय प्रतिकूल टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा गया था, न्यायालय द्वारा रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।वह परिस्थिति अपने आप में हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकती।"

(18) के. के. वैद्य बनाम हरियाणा सरकार में इस न्यायालय की खंड पीठ ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि यह किसी कर्मचारी को सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए या नहीं, यह तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की शक्ति का अतिक्रमण है।उस निर्णय का अनुपात निम्नलिखित टिप्पणियों में पाया जा सकता हैः—

> इन निर्देशों की अभिव्यक्ति की सरलता और उनके दायरे की व्यापकता चौंकाने वाली है। इन निर्देशों के अनुसार कर्मचारी की सेवा में बने रहने की वांछनीयता के बजाय सेवा में बने रहने के लिए उसकी सकारात्मक योग्यता पर जोर दिया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है और स्पष्ट रूप से मृत लकड़ी के परीक्षण के विपरीत है। जैसा कि पहले बताया गया है, नियम 3.26 (ए) के तहत एक सरकारी कर्मचारी उस महीने के आखिरी दिन की दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, जिसमें वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, यानी, उसे आम तौर पर तब तक सरकारी सेवा में बने रहना होता है। उस समय. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विवादित निर्देशों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सरकारी अधिकारी 55 वर्ष की आयु में एक सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति मानते हैं। यही कारण है कि निर्देशों में लिखा है, "कर्मचारियों/अधिकारियों को 55 वर्ष की आयु से अधिक का विस्तार इस शर्त के साथ दिया जा सकता है कि पिछली 10 गोपनीय रिपोर्टों में से 70% से अधिक अच्छी या उससे ऊपर हों।" यह पूरी तरह से नियम 3.26 (ए) के अक्षरशः और भावना के विपरीत है। इसलिए, इन निर्देशों को इस नियम के खंड (ए) और (डी) का उल्लंघन माना जाना चाहिए।"

(19) निर्णय के पैरा 10 में यह निम्नलिखित रूप में देखा गया थाः—

> ""औसत" शब्द का अर्थ मध्यम या साधारण से अधिक कुछ नहीं है।समय से पहले सेवानिवृत्ति के उद्देश्य से एक कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड की जांच करते समय तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।वह सकारात्मक रूप से अच्छा या सकारात्मक रूप से बुरा हो सकता है और न तो अच्छा हो सकता है और न ही बुरा।यह केवल अंतिम श्रेणी है जिसका मूल्यांकन या मूल्यांकन औसत के रूप में किया जा सकता है।हालाँकि इन निर्देशों के आलोक में यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हरियाणा।सरकार उम्मीद करती

है कि उसके सभी कर्मचारी न केवल औसत से ऊपर होंगे, बल्कि कुछ और भी, यानी अच्छा या उससे ऊपर, फिर भी यह मानना मुश्किल लगता है कि औसत प्रविष्टि को प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में लिया जाना चाहिए।केवल सकारात्मक रूप से खराब कर्मचारियों के मामले में ही सरकार को ऊपर निर्दिष्ट नियम 3.26 के खंड (घ) के संदर्भ में कम उम्र में उन्हें सेवानिवृत्त करने के लिए उचित ठहराया जा सकता है।"

(20) के. के. के. वैद (स्केसिया (सुप्रा)) के फैसले को दया नंद के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ द्वारा आंशिक रूप से उलट दिया गया है।पूर्ण पीठ के निर्णय का पैरा 21, जिसमें इस विषय पर चर्चा शामिल है, नीचे दिया गया हैः—

"जब किसी अधिकारी के पूरे सेवा रिकॉर्ड पर विचार किया जाता है, विशेष रूप से बाद के वर्षों के रिकॉर्ड पर, उसमें सभी प्रविष्टियों का प्रभाव/छाप एकत्र की जानी है और यह केवल ऐसे रिकॉर्ड से है कि नियुक्ति प्राधिकरण को यह तय करना है कि किसी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना सार्वजनिक हित में होगा या नहीं।सेवा अभिलेख में अभिलिखित "औसत" की एक या कुछ प्रविष्टियों को महत्व देने के संबंध में न्यायालयों द्वारा व्यक्त की गई राय को "कानून का नियम" नहीं माना जा सकता है जिसका बाद के मामलों में पालन किया जा सकता है।प्रतिकूल टिप्पणियों को संप्रेषित करने का उद्देश्य एक सरकारी अधिकारी को ऐसे अधिकारी के रूप में अपने आचरण और कार्यप्रणाली में सुधार करने का अवसर देना है।यदि राज्य सरकार एक नीति के रूप में निर्णय लेती है कि "औसत" रिपोर्ट जो संचारित की जाती हैं, उन्हें प्रतिकूल माना जाना चाहिए और सरकारी अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रश्न पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो ऐसे निर्देशों में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।इस तरह की टिप्पणियां होंगी प्रतिकूल के रूप में माना जाता है, हालांकि सामान्य रूप से, शाब्दिक रूप से वे बेहद खराब नहीं हो सकते हैं।जब के. के. वैद का मामला तय किया गया तो सरकारी अधिकारियों को "औसत" की प्रतिकूल टिप्पणियों के संचार के संबंध में हरियाणा सरकार के निर्देश मौजूद नहीं थे।अब जब ऐसे निर्देश के आलोक में इस तरह के प्रश्न की जांच की जानी है, तो के. के. वैद के मामले में निर्धारित कानून के नियम का पालन नहीं किया जा सकता है।अन्यथा भी के. के. वैद के मामले में निर्णय, कि केवल 70 प्रतिशत से अधिक "अच्छी" रिपोर्ट रखने वाले सरकारी अधिकारियों को सेवा में बनाए रखने के राज्य सरकार के निर्देश नियम 3.26 की भावना के विपरीत हैं, को अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है।नियम 3.26 (ए) के तहत, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, सरकारी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होना है और उससे आगे उसे सार्वजनिक हित में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ केवल असाधारण परिस्थितियों में सेवा में रखा जा सकता है।नियम 3.26 (घ) की व्याख्या करते समय लोक हित को किसी व्यक्ति को 55 वर्ष की आयु से

अधिक सेवा में बने रहने की अनुमति देने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से न केवल औसत बल्कि मेधावी रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को विस्तार की अनुमति दी जानी चाहिए और यह लोक हित की सेवा करेगा।आम तौर पर मेधावी व्यक्तियों को ऐसे अधिकारियों के विस्तार की अनुमति देने की आड़ में पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो अच्छे अधिकारी या मेधावी अधिकारी हैं।यह केवल एक अपवाद है कि दर्ज किए जाने वाले कारणों और असाधारण परिस्थितियों में सेवा में विस्तार की अनुमति दी जानी चाहिए। नियम 3.26 (डी) में प्रयुक्त वाक्यांश पूरी तरह से अलग है, हालांकि उसमें भी सार्वजनिक हित का तत्व प्रमुख है।यदि सरकार की राय है कि वह प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सेवा में 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिकारी को या 35 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार देती है, तो सरकार को पूर्ण अधिकार दिया गया है।यह राय व्यक्तिपरक है लेकिन डेटा पर बनाई गई है, यानी पूरे सेवा रिकॉर्ड के मूल्यांकन पर, विशेष रूप से बाद के वर्षों के सेवा रिकॉर्ड पर। "पूर्ण अधिकार" शब्द का उपयोग महत्वपूर्ण है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे 58 वर्ष की आयु तक निर्धारित समय से आगे सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए, जब राज्य सरकार की कार्रवाई को मनमाना या दुर्भावनापूर्ण माना जाता है कि इस पर न्यायालय में सवाल उठाया जा सकता है। चूँकि राज्य को किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है, इसलिए यह माना जाता है कि राज्य सरकार इस विषय पर निर्देश जारी कर सकती है जो इस नियम के तहत आदेश पारित करते समय सक्षम प्राधिकारी को ध्यान में रखने के लिए दिशानिर्देशों की प्रकृति में होगा।1983 में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश कि पिछले दस वर्षों में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अच्छा रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारियों को 55 वर्ष से अधिक समय तक बनाए रखने की अनुमति दी जाए, नियम 3.26 (ए) या (डी) का उल्लंघन नहीं करते हैं।के. के. वैद के मामले में खंड पीठ का दृष्टिकोण कि 1983 के उपरोक्त निर्देश निर्णय के पैरा 9 में उल्लिखित नियम 3.26 (ए) के अक्षर और भावना के खिलाफ थे, को अच्छा कानून निर्धारित करने के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।नियम 3.26 (ए) या (डी. डी.) में अंतर्निहित मृत लकड़ी को हटाने की अवधारणा अंतर्निहित है, लेकिन आदेश पारित करने के लिए इसमें उपलब्ध एकमात्र आधार नहीं है।इसे जे. एन. सिन्हा के मामले और बैकुंथा नाथ के मामले में उल्लिखित अन्य आधारों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात इन नियमों का उद्देश्य राज्य सेवाओं में दक्षता और पहल के उच्च मानक को बनाए रखना भी है।राज्य सेवाओं के कामकाज में समर्पण और गतिशीलता की भावना होनी चाहिए।ऐसे अधिकारी जो लापरवाह, भ्रष्ट, अक्षम या पर्याप्त नहीं हैं और जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए।इस प्रकार, यह विचार व्यक्त किया गया है कि नियम 3.26 केवल मृत लकड़ी को काटने के

लिए आकर्षित किया जाएगा, सही नहीं है।ध्यान में रखने के लिए विभिन्न कारण हो सकते हैं, जो सार्वजनिक हित का गठन करेंगे कि नियम 3.26 (डी) के तहत आवश्यक आदेश पारित किया जा सकता है जैसा कि ऊपर संक्षेप में देखा गया है।"

(21) रामिकिशानि बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त) *1* (हममें से किसी एक का निर्णय), न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे को रेखांकित कियाः—

"अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों में न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है और कोई स्ट्रैट-जैकेट सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है।अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रत्येक मामले में, जिस पर न्यायालय के समक्ष हमला किया जाता है। न्यायालय से यह जांच करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति का प्रयोग किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है और क्या सक्षम प्राधिकारी ने यह राय बनाने के लिए उसके समक्ष रखी गई सामग्री पर निष्पक्ष रूप से विचार किया है कि संबंधित कर्मचारी की उपयोगिता समाप्त हो गई है या सार्वजनिक सेवा में उसका बने रहना उचित नहीं है।यदि अदालत को पता चलता है कि आदेश किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है, तो हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त औचित्य होगा। प्राधिकार की कमी के आधार पर सेवानिवृत्ति के आदेश के साथ।इसी प्रकार, जहां न्यायालय यह पाता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति का प्रयोग प्रासंगिक सामग्री पर विचार किए बिना किया गया है या जहां यह पाया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने बाहरी कारकों पर भरोसा किया है या अपने दिमाग को लागू नहीं किया है या किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कोई भी उचित व्यक्ति समान परिस्थितियों में नहीं आया होगा, तो न्यायालय समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश को बाधित करने में उचित होगा।बाहरी विचारों के लिए या प्रासंगिक कारकों की अनदेखी करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति का प्रयोग उचित रूप से शक्ति के प्रयोग के रूप में माना जा सकता है जो न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को आमंत्रित करने वाले कानून में द्वेष से ग्रस्त है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं करेगा और यह राय बनाने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखी गई सामग्री का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा कि कर्मचारी को सेवा में रखा जाना चाहिए या नहीं, लेकिन यह न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह इस तरह के रिकॉर्ड पर गौर करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि सक्षम प्राधिकारी ने प्रासंगिक विचारों पर निष्पक्ष रूप से अपना दिमाग लगाया है या नहीं।"

नियम, निर्देश और ऊपर उल्लिखित विभिन्न न्यायिक उदाहरणों के उपरोक्त विश्लेषण से जो प्रस्ताव सामने आते हैं, वे हैंः—

(a) किसी कर्मचारी की समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश पारित होने से पहले नियोक्ता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा आदेश दंडात्मक नहीं है और यह कर्मचारी पर कोई कलंक नहीं लगाता है।हालांकि, जहां सेवानिवृत्ति का आदेश सजा के उपाय के रूप में पारित किया जाता है, नियोक्ता को प्राकृतिक न्याय के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार जांच करनी होती है।

(b) एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का निर्णय सरकार/उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यह राय बनाने पर लिया जाना है कि एक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना सार्वजनिक हित में है।

(c) यद्यपि सेवा में रखे जाने वाले कर्मचारी की उपयोगिता और योग्यता के बारे में सरकार की संतुष्टि व्यक्तिपरक है, लेकिन इसका गठन प्रासंगिक कारकों पर वस्तुनिष्ठ विचार के आधार पर किया जाना चाहिए।

(d) सरकार या समिति, जिसे कर्मचारी के अभिलेख का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है , को मामले में निर्णय लेने से पहले सेवा के पूरे अभिलेख पर विचार करना चाहिए, लेकिन कर्मचारी के अभिलेख और बाद के वर्षों के दौरान उसके प्रदर्शन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।इस तरह से विचार किए जाने वाले रिकॉर्ड में केवल गोपनीय रिपोर्ट (खराब के साथ-साथ अच्छा) और दंड, यदि कोई हो, की प्रविष्टियां शामिल होंगी।

(e) यदि प्रतिकूल रिपोर्टों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद सरकारी कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो ऐसी रिपोर्ट अपनी पकड़ खो देंगी।यह सिद्धांत अधिक कठोरता के साथ लागू होगा जहां पदोन्नति विशुद्ध रूप से योग्यता पर आधारित है।

(f) जहां सरकार/उपयुक्त प्राधिकारी को किसी कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का अधिकार देने वाला नियम चुप है, वहां सरकार समय से पहले सेवानिवृत्ति की शक्ति के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने वाले प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकती है।समयपूर्व सेवानिवृत्ति/अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कर्मचारी के मामले पर विचार करते समय इस तरह के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन उन्हें सरकार/उपयुक्त प्राधिकरण के विवेक को नियंत्रित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

(g) यदि पहले के वर्षों के संबंध में कर्मचारी के रिकॉर्ड में औसत और इतनी अच्छी प्रविष्टियां नहीं हैं, लेकिन बाद के वर्षों में उसके प्रदर्शन में सकारात्मक सुधार दिखाई देता है, तो पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्ति की शक्ति के प्रयोग के लिए कुछ ठोस कारण मौजूद होने चाहिए।

(h) न्यायालय आम तौर पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कर्मचारी के सेवा अभिलेख का मूल्यांकन करके शक्ति के प्रामाणिक प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जहां सरकार या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा शक्ति का प्रयोग ऐसी शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन से दूषित हो जाता है या जहां उपयुक्त प्राधिकारी वस्तुनिष्ठ तरीके से कर्मचारी के अभिलेख पर अपना दिमाग लगाने में विफल रहता है या जहां उपयुक्त प्राधिकारी भरोसा करके कर्मचारी की उपयोगिता के बारे में राय बनाता है। बाहरी कारकों पर, न्यायालय के पास न केवल शक्ति है, बल्कि सेवानिवृत्ति के आदेश को अमान्य करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने का कर्तव्य भी है।

(22) यदि हम उपरोक्त चर्चा के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले की जांच करते हैं, तो यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि याचिकाकर्ता की सेवा से सेवानिवृत्ति के लिए जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशें और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश किसी भी कानूनी त्रुटि से ग्रस्त नहीं हैं जो न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देता है।यह कोई सबूत न होने का मामला या दिमाग का उपयोग न करने या बाहरी सामग्री पर विचार करने का मामला नहीं है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में कई प्रतिकूल प्रविष्टियां नहीं हैं, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के विभिन्न कृत्यों, जिनके लिए उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा दंडित किया गया है, को समिति द्वारा यह राय बनाने के लिए उचित रूप से विचार में लिया गया है कि सेवा में उनका आगे बने रहना जनहित में नहीं है।सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दंड के आदेशों के साथ एक "औसत से कम" प्रविष्टि पर्याप्त सामग्री का गठन करती है जिसके आधार पर कोई भी सामान्य विवेक वाला व्यक्ति एक प्रामाणिक राय से कह सकता है कि याचिकाकर्ता सेवा में बने रहने का हकदार नहीं है।इसलिए, हम श्री हुड्डा से सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि विवादित आदेश मनमाना है या दिमाग का उपयोग न करने के कारण इसे दूषित किया जाता है।

(23) याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा उसके स्थानांतरण पर रोक और विवादित कार्रवाई को जोड़ने का प्रयास हमारी मंजूरी के योग्य नहीं है।यह तथ्य कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जाँच समिति की सिफारिशों पर विवादित आदेश पारित किया गया है, दुर्भावनापूर्ण शक्ति प्रयोग की याचिका को नकारने के लिए पर्याप्त है।इसके अलावा, चूंकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए उनके खिलाफ वास्तव में द्वेष का कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा सकता है।

(24) याचिका का विचरण न करने का एक और कारण है, अर्थात्, न्यायालय के असाधारण और न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा प्रदर्शित अत्यधिक अपमानजनक आचरण।उन्होंने जानबूझकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित सजा के विभिन्न आदेशों के संदर्भ से परहेज किया और यह कहते हुए अपने सेवा रिकॉर्ड की एक गुलाबी तस्वीर चित्रित करने की कोशिश की कि उन्होंने अपने पूरे सेवा जीवन में अच्छी

रिपोर्ट अर्जित की है और हाल के दिनों की अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में बहुत अच्छी और उत्कृष्ट टिप्पणी अर्जित की है, लेकिन इस तथ्य के लिए कि प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड के काले पक्ष का खुलासा किया है, अदालत को यह विश्वास करने के लिए गुमराह किया जाएगा कि शक्ति का प्रयोग निहित है। प्रत्यर्थी संख्या 2 मनमानेपन और दुर्भावना से दूषित है।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील यह नहीं समझा सके कि याचिकाकर्ता ने सजा के आदेशों के बारे में रिट याचिका में उल्लेख क्यों नहीं किया।इस मामले में किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि याचिकाकर्ता ने दागी हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाया है और इसलिए, वह किसी भी अनुग्रह के योग्य नहीं है।

(25) जय भगवान जैन बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, पंचकूला, *1993* की सिविल रिट याचिका संख्या *15448* में, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने न्याय के शुद्ध स्रोत को प्रदूषित करने के लिए वादियों के बीच बढ़ती प्रवृत्ति पर ध्यान दिया और निम्नानुसार टिप्पणी कीः—

> "सत्य (सत्य) और अहिंसा (अहिंसा) जीवन के दो बुनियादी मूल्य हैं, जिन्हें महावीर और महात्मा गांधी की इस भूमि में सदियों से पोषित किया गया है।दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोग जीवन के इन बुनियादी सिद्धांतों को सीखने के लिए यहां आते हैं।हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद के युग और विशेष रूप से पिछले दो दशकों में जीवन के इन दो बुनियादी मूल्यों में तेज गिरावट देखी गई है।भौतिकवाद ने पुराने लोकाचार को भारी कर दिया है और व्यक्तिगत लाभ की खोज इतनी विशाल है कि लोगों में सच्चाई के लिए कोई सम्मान नहीं है।न्यायालयों में कार्यवाही, जिन्हें एक समय में पवित्र माना जाता था और लोग न्यायालय में सच बताना अपना कर्तव्य मानते थे, अब न्याय के उद्देश्यों को प्रदूषित करने के लिए पक्षों द्वारा किए गए प्रयासों से दूषित हो गए हैं।"

(26) जय भगवान जैन की रिट याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहाः—

"संविधान के अनुच्छेद 226 या 136 के तहत राहत मांगने वाले पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह सभी तथ्यों का पूरा और स्पष्ट खुलासा करे और यह निर्धारित करने के लिए अदालत पर छोड़ दे कि याचिकाकर्ता को राहत दी जानी चाहिए या नहीं।याचिकाकर्ता का यह भी कर्तव्य है कि वह याचिका दायर करने से पहले मामले के पूर्ण तथ्यों का पता लगाने के लिए सभी प्रयास करे और उसे यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह उससे संबंधित तथ्यों से अवगत नहीं है।याचिकाकर्ताओं को अपने न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय से राहत पाने से पहले अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करना होगा।यह याचिकाकर्ता को तय नहीं

करना है कि कौन से तथ्य प्रासंगिक हैं और कौन से प्रासंगिक नहीं हैं।याचिकाकर्ता न्यायाधीश नहीं बन सकता है

तथ्यों की प्रासंगिकता का प्रश्न।स्पष्ट और सीधे तरीके से सभी तथ्यों का खुलासा न करने पर अनिवार्य रूप से याचिका को खारिज कर दिया जाएगा।"

डिवीजन बेंच ने आगे कहाः

"हम यह भी जोड़ सकते हैं कि एक याचिकाकर्ता उस मामले के गुण-दोष पर सुनवाई का हकदार नहीं होगा जहां वह तथ्यों को छिपाने या अदालत के समक्ष गलत कथन करने का दोषी पाया जाता है, केवल इस आधार पर कि अदालत द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।यह याद रखना चाहिए कि न्यायालय एक याचिका पर इस धारणा के साथ विचार करता है कि याचिका में किए गए कथन सही और सही हैं।दी गई स्थिति में, न्यायालय अंततः एक याचिका पर एकतरफा निर्णय ले सकता है जहां गैर-याचिकाकर्ता नोटिस की सेवा के बावजूद उपस्थित नहीं होता है।यदि कोई पक्ष न्यायालय से तथ्यों को दबा देता है, तो ऐसा एकतरफा निर्णय गलत या अधूरे तथ्यों के आधार पर दिया जा सकता है।इसलिए, यह कहना कि याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है या उसे कोई लाभ नहीं मिला है, न्यायालय के समक्ष तथ्यों को दबाने या तथ्यों को गलत तरीके से बताने के आरोप का कोई जवाब नहीं है।हमारी राय में, याचिका पर नोटिस जारी करना ही याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त एक लाभ है।यदि बाद में यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय को गुमराह किया है या मामले के सही तथ्यों को छिपाकर नोटिस जारी करने के लिए उसे राजी किया है, तो याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त अधिकार क्षेत्र होगा।"

(27) रेक्स बनाम केंसिंगटन कमिश्नर[9] में एम. आर. ने एक पक्षीय आवेदन में एक पक्ष के आचरण पर निम्नलिखित शब्दों में टिप्पणी कीः—

"एक पक्षीय आवेदन पर उबेर्रिमा फिडेस की आवश्यकता होती है, और जब तक कि यह स्थापित नहीं किया जा सकता है कि यदि न्यायालय में धोखाधड़ी जैसी कोई बात प्रचलित है, तो न्यायालय को मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए, लेकिन केवल यह कहना चाहिए कि आपने जो किया है उसके कारण हम आपके आवेदन को नहीं सुनेंगे।"

---

9 1917 (1) के. बी. 486

लॉर्ड स्क्रूटन एल. जे. ने कहाः

“इसमें कई वर्षों से न्यायालय का शासन है और एक ऐसा है जो यह बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है कि "जब कोई आवेदक एक तरफा बयान पर राहत प्राप्त करने के लिए अदालत में आता है तो उसे सभी भौतिक तथ्यों का पूर्ण और निष्पक्ष खुलासा करना चाहिए, न कि कानून। तथ्यों को पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से बताना चाहिए और जिस दंड के द्वारा न्यायालय उस दायित्व को लागू करता है, वह यह है कि उसे पता चलता है कि तथ्यों को पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से कहा गया है, न्यायालय अपूर्ण कथन के विश्वास पर की गई किसी भी कार्रवाई को दरकिनार कर देगा।”

(28) आर बनाम चर्चवार्डन्स[10], लॉर्डहेटरले ने कहाः—

> “एक विशेषाधिकार रिट पर विवेक के कई मामले उत्पन्न हो सकते हैं जो न्यायाधीशों को इसके अनुदान को रोकने के लिए प्रेरित कर सकते हैं-मामले (देरी से संबंधित या संभवतः पक्षों के आचरण से संबंधित)।”

(29) रेग. बनाम जलैंड[11], यह आयोजित किया गया थाः—

> “जहां कोई प्रक्रिया ऋण से न्यायसंगत है, वहां न्यायालय उस आवेदन के पक्ष में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर देगा जहां आवेदन प्रामाणिक रूप से वांछित पाया जाता है।”

(30) सर्वोच्च न्यायालय के अधिपतियों ने बार-बार वादी के स्वच्छ हाथों से न्यायालय जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।हरि नारायण बनाम बद्री दास[12] में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को केवल इस आधार पर दी गई अपील करने की विशेष अनुमति को रद्द कर दिया कि उसने न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य दिए थे।उस निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैंः—

> “यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत किए गए विशेष अवकाश के लिए आवेदनों में भौतिक बयान देने और आधार निर्धारित करने में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी बयान न दिया जाए जो गलत, असत्य या भ्रामक हो।विशेष अनुमति के लिए आवेदनों के साथ समझौता करने में, न्यायालय स्वाभाविक रूप से याचिकाओं में निहित तथ्यों और तथ्य के आधारों के बयानों को उनके अंकित मूल्य पर लेता है और ऐसे बयान देकर न्यायालय के विश्वास को धोखा देना अनुचित होगा जो असत्य और भ्रामक हों। इस प्रकार यदि अपील की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि विशेष अनुमति के लिए अपने आवेदन में अपीलार्थी द्वारा दिए गए भौतिक

---

10 1917 (1) के. बी. 486

11 1917 (1) के. बी. 486

12 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1558

बयान गलत और भ्रामक हैं, और प्रतिवादी यह तर्क देने का हकदार है कि सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति के लिए याचिका में निहित तथ्यों के गलत निरूपण के रूप में वर्णित करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि ऐसे मामले में अपीलीय को दी गई विशेष अनुमति को रद्द कर दिया जाना चाहिए।"

(31) वेलकम होटल और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य[13]और एस. पी. में चेंकलवरारा नायडू *(मृत)* बनाम एल. आर.एल. आर. और अन्य[14] द्वारा जगन्नाथ *(मृत),* उनके प्रभुओं ने माना कि जो अदालत में आता है उसे साफ हाथों से आना चाहिए और अदालत उस पक्ष को सुनने से इनकार कर देगी जिसका आचरण अनुचित पाया जाता है।बाद के मामले में, लॉर्डशिप्स ने आगे कहा कि जहां अदालत में धोखाधड़ी करके एक प्रारंभिक डिक्री प्राप्त की गई थी, क्योंकि दूसरी तरफ लाभ प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को रोक दिया गया था, ऐसा करने वाले पक्ष को मुकदमे के किसी भी स्तर पर बाहर कर दिया जाना चाहिए।

(32) जी. नारायणस्वामी रेड्डी और एक अन्य बनाम कर्नाटक सरकार और एक अन्य[15] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने इस तथ्य को छिपाया था कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11-ए में निर्दिष्ट समय के भीतर एक रिट याचिका में पारित अंतरिम स्थगन आदेश के कारण पुरस्कार नहीं दिया गया था, विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स ने कहाः—

"दिलचस्प बात यह है कि विशेष अनुमति याचिका में किसी भी स्थगन आदेश का कोई संदर्भ नहीं है और हमें इन आदेशों के बारे में तभी पता चलता है जब प्रतिवादीगण नोटिस के जवाब में उपस्थित होते हैं और अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करते हैं।हमारे विचार में, उक्त अंतरिम आदेशों का उठाए गए प्रश्न पर सीधा असर पड़ता है और इसका खुलासा न करना निश्चित रूप से भौतिक तथ्यों को दबाने के बराबर है।केवल इसी आधार पर विशेष अनुमति याचिका खारिज की जा सकती है।यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत राहत विवेकाधीन और एक याचिकाकर्ता है। जो इस तरह की राहत के लिए इस न्यायालय को फटकार लगाता है, उसे तथ्यों के स्पष्ट और पूर्ण प्रकटीकरण के साथ आना चाहिए।यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है और भौतिक तथ्यों को दबाता है, तो उसका आवेदन खारिज किया जा सकता है।हम तदनुसार विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हैं।"

13ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 1015
14जे. टी 1993 (6) एस. सी. 331
15ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1726

(33) इस न्यायालय ने एक पक्ष के अपमानजनक आचरण को भी गंभीरता से लिया है और बड़ी संख्या में मामलों में राहत देने से इनकार कर दिया है।श्रीमती में। भूपिंदरपाल कौर बनाम वित्तीय आयुक्त *(राजस्व)* पंजाब[16], एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि यदि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि रिट देने के लिए आवेदन के समर्थन में हलफनामा स्पष्ट नहीं था और तथ्यों को पूरी तरह से नहीं बताता है, लेकिन या तो भौतिक तथ्यों को दबा देता है या उन्हें इस तरह से कहा जाता है कि न्यायालय को अपने स्वयं के संरक्षण के लिए और अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, गुण-दोष की जांच के साथ आगे बढ़ने से इनकार करना चाहिए और जहां ऐसा कोई आचरण है जो न्यायालय को धोखा देने के लिए गणना की जाती है, तो याचिका को उस छोटे आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(34) चिरंजी लाई और अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त*,* हरियाणा और अन्य[17] मामले में, एक पीठ ने भूपिंदरपाल कौर के मामले *(उपरोक्त)* में की गई टिप्पणियों को मंजूरी दी और कहा कि जहां भौतिक तथ्यों का दुर्भावनापूर्ण और सुनियोजित दमन किया गया है, जो यदि खुलासा किया जाता है, तो याचिकाकर्ताओं को रिट अधिकार क्षेत्र के तहत असाधारण उपचार के लिए वंचित कर दिया जाता है या किसी भी मामले में दावा की गई अंतरिम और अंतिम राहत दोनों पर गुण-दोष को भौतिक रूप से प्रभावित करता है, तो रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(35) हर्भजन कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य[18] मामले में एक खंड पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

> "रिट याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख करने की कोशिश की है।उन्होंने सही तथ्यों को न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया और भौतिक तथ्यों को छिपाकर और रिट याचिका में गंभीर रूप से प्रभावित पक्ष को शामिल किए बिना हमसे एक आदेश प्राप्त किया।वे 1986 से पंजाब वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, जैसा कि एक अवलोकन से पता चलता है। याचिका संख्या 363 या $1986 (शाम सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड*)* में पारित आदेश।उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि जमीन के हस्तांतरण के लिए उनके आवेदन तहसीलदार (बिक्री) द्वारा खारिज कर दिए गए थे और अपील पर, आदेशों की बिक्री आयुक्त द्वारा पुष्टि की गई थी और बिक्री आयुक्त के आदेशों के खिलाफ अपील मुख्य बिक्री आयुक्त के समक्ष लंबित थी; कि पंजाब वक्फ बोर्ड उनके दावे को चुनौती दे रहा था और उन कार्यवाही में यह माना गया था कि पंजाब वक्फ बोर्ड विवादित भूमि का मालिक था और यह कि

16(1968) 70 पी एल आर 169
17(1978) 80 पी. एल. आर. 582
181994 पी. एल. जे 287

न्यायिक कार्यवाही श्रीमती. कुलदिप कौर और उनके पति ने स्वीकार किया था कि पंजाब वक्फ बोर्ड विवादित भूमि का मालिक था।"

(36) पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य[19] मामले में, एक अन्य खंड पीठ ने कहा कि एक पक्ष जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय से राहत चाहता है, उसे सभी प्रासंगिक तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण करना चाहिए।इसका आचरण बोर्ड से ऊपर होना चाहिए और किसी पक्ष द्वारा न्यायालय को गुमराह करने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए।

(37) ऊपर उल्लिखित निर्णयों के अनुपात को लागू करके और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर न्यायालय से भौतिक तथ्यों को रोक दिया है, हम घोषणा करते हैं कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

(38) ऊपर बताए गए कारणों से रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। 8 सितंबर, 1998 को पारित अंतरिम आदेश तुरंत निरस्त किया जाता है ।कल तक याचिकाकर्ता को मुक्त करना प्रत्यर्थी संख्या 2 और उसके अधीन काम करने वाले अधिकारियों का कर्तव्य होगा।यह भी स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत अपने द्वारा प्रदान की गई सेवा का कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।हालाँकि, उस अवधि के दौरान उसे दिए गए वेतन और भत्तों की प्रतिवादीगण द्वारा वसूली नहीं की जाएगी।

<u>अस्वीकरण :</u>

<u>स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि यह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।</u>

हिमांशु आर्य

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा

---

19 1994 (5) एस. एल. आर. 73